प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अशोक कुमार पुत्र चम्पालाल ओसवाल जालोर जरिये, हुक्मीचंद पारख,एडवोकेट जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

21.05.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 12.06.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
13.05.2019	अपीलांट अनुपस्थित व राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर का जवाब प्राप्त हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) ने व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 04.04.2019 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नही होने के कारण संबधित सूचना तहसीलदार जालोर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) के तहत अपीलांट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 193 दिनांक 05.04.2019 को तहसीलदार जालोर को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई। तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को जरिए पत्रांक 194 दिनांक 05.04.2019 से पुन: सूचित किया जा चुका है।अत:अपीलांट की अपील खारिज की जावे। राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही सूचना तहसील कार्यालय जालोर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीदार जालोर को अंतरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का आवेदन पत्र तहसीलदार जालोर को अंतरित किया गया,जो विधीवत है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है अन्यथा आवेदन संबंधित कार्यालय को अन्तरित करने का प्रावधान है इस प्रकरण में आवेदन संबंधित कार्यालय को अन्तरित किया जा चुका है। अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested